>

Title: Regarding need to relax qualifying marks for recruitment of Urdu teachers in Bihar - Laid

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): बिहार सरकार ने 2013 में स्पेशल टी.ई.टी. उर्दू शिक्षक परीक्षा का आयोजन किया था ताकि पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उर्दू शिक्षकों का नियोजन हो सके और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों का पठन-पाठन सुचारू रूप से हो सके । गौर तलब है कि उर्दू भाषा बिहार की दूसरी राज्य भाषा है ।

संयोगवश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में उर्दू भाषा के अभ्यर्थियों को अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त हुए । इस कारण बड़ी संख्या (लगभग 12 हजार) में अभ्यर्थी निम्नतम पात्रता अंक से नीचे रहे गये । इसीलिए 24,000 (चौबीस हजार) रिक्त पदों में से लगभग 12,००० (बारह हजार) उर्दू शिक्षकों का नियोजन हो सका, लगभग 12 हजार पद आज भी रिक्त है । इस कारण शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता की योग्यता में छूट दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि कुछ और अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके ।

दिनांक 07.02.19 को इस आशय का एक पत्र राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि शिक्षक अर्हता योग्यता के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति देने की कृपा की जाय । दिनांक 26/06/19 को पुनः राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने पत्र के द्वारा केन्द्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस कार्य के लिए स्मारित किया है ।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 10/01/2019 को अपने लिखे गए पत्र के माध्यम से त्रिपुरा सरकार के शिक्षा विभाग को शिक्षकों की बहाली में इस तरह की छूट की अनुमति देने की कृपा की है ।|

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को भी इस तरह की छूट देने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय जिससे कि बिहार में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित न हो। सनद रहे हाल के दिनों में केन्द्र सरकार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू में परीक्षा देने की छूट दी है जो पूर्व में कभी नहीं हुआ है।